नाबार्ड द्वारा प्रायोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत प्राप्त सहायता अर्न्तगत

नाबार्ड

दी सिरोही सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि., सिरोही (राजस्थान)

ऋण योजनाए

1. फसली ऋण व्यवस्था :–

सदस्यों की ऋण साख सीमा स्वीकृत करना :–

कृषक जो भूमिधारक है। अपने क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य एक हिस्सा रू. 100/- एवं 10/- रू. प्रवेश शुल्क कुल रू. 110/- देकर सदस्य बनता है।

सदस्य बनने के पश्चात समिति से अल्पकालीन फसली ऋण प्रार्थना पत्र प्राप्त कर ऋण प्रार्थना पत्र में भूमि विवरण सम्बन्धित क्षेत्र के पटवारी से अंकित करवाकर ऋण प्रार्थना पत्र सम्बन्धित समिति को प्रस्तुत करता है। ऋण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि विवरण बोई जाने वाली फसल के आधार पर कृषक सदस्य के पक्ष में पांच वर्ष के लिये फसली ऋण साख सीमा तैयार कर स्वीकृत कर ऋण वितरण किया जाता है।

ऋण की सीमा :–

जिला स्तर पर आयोजित तकनीकी दल द्वारा अलग–अलग फसलों के लिए फसलवार उत्पादन लागत के आधार पर नोर्मस तय किये जाते है। वर्तमान में प्रति सदस्य–अधिकतम ऋण साख सीमा राशि रूपये 1.50 लाख है। औसतन प्रति एकड रूपये 5000 से 6000 होते है।

खरीफ फसल :– खरीफ फसल के लिए 1 अप्रेल से 31 अगस्त तक ऋण वितरण किया जाता है।

रबी फसल :– रबी फसल के लिए ऋण वितरण 1 सितम्बर से 31 मार्च तक वितरण किया जाता है।

चुकौति अवधि खरीफ :– 31 मार्च
रबी :– 30 जून

हिस्सा राशि

वसूली के आधार पर समिति द्वारा सदस्यों से 9 प्रतिशत हिस्सा राशि ली जाती है। इस हिस्सा राशि पर समिति द्वारा सदस्य को समिति के लाभ में से लाभांश वितरण किया जाता है।

---

2. कृषक मित्र योजना :–

किसी सदस्यों को फसली ऋण के लिए राशि रू. 1,50,000/- से अधिक ऋण की आवश्यकता होने पर केन्द्रीय सहकारी बैंक से सीधे कृषक मित्र योजनान्तर्गत ऋण राशि रू. 3.50 लाख तक भूमि के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकता है। जिसके पास न्यूनतम 4 एकड सिंचित कृषि भूमि है।

1. अधिकतम ऋण साख सीमा रू. 3.50 लाख तक एक वर्ष के लिए स्वीकृत की जाती है। प्रत्येक वर्ष 30 जून को एक बार सम्पूर्ण बकाया राशि मय ब्याज के चुकानी आवश्यक होती है।
2. ऋण स्वीकृति का मापदण्ड रू. 4000/- प्रति एकड सिंचित भूमि निर्धारित है, किन्तु जिले की टेक्नीकल कमेटी द्वारा अनुमोदित वास्तविक लागतों से अधिक है तो जिला स्तरीय टेक्नीकल कमेटी द्वारा अनुमोदित मापदण्ड ही साख सीमा स्वीकृति का आधार होगा, ऋण की जमानत में भूमि को बैंक के पक्ष में रजिस्टर्ड रहन करवाना आवश्यक है, ऋण के अनुपात में दुगनी वेल्यूऐशन की भूमि रहन रखी जाती है।
3. कृषक मित्र ऋण साख सीमा पर वर्तमान ब्याज दर 7% ऋण राशि रूपये 3.00 लाख तक वार्षिक है तथा 3.00 लाख से अधिक पर ब्याज दर 12 प्रतिशत है।

---

3. फार्म यंत्रीकरण योजनान्तर्गत–ट्रेक्टर ऋण :–

भूमिधारक कृषक जिसके पास 8 एकड भूमि हो तथा ऋण चुकाने की सक्षमता के आधार पर व बैंक से ट्रेक्टर, थ्रेसर एवं अन्य सयंत्र क्रय करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है।

नाबार्ड द्वारा प्रायोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत प्राप्त सहायता अर्न्तगत

नाबार्ड

दी सिरोही सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सिरोही (राजस्थान)

ऋण योजनाए

1. फसली ऋण व्यवस्था :-

सदस्यों की ऋण साख सीमा स्वीकृत करना :-

कृषक जो भूमिधारक है। अपने क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य एक हिस्सा रू. 100/- एवं 10/- रू. प्रवेश शुल्क कुल रू. 110/- देकर सदस्य बनता है।

सदस्य बनने के पश्चात समिति से अल्पकालीन फसली ऋण प्रार्थना पत्र प्राप्त कर ऋण प्रार्थना पत्र में भूमि विवरण सम्बन्धित क्षेत्र के पटवारी से अंकित करवाकर ऋण प्रार्थना पत्र सम्बन्धित समिति को प्रस्तुत करता है। ऋण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि विवरण बोई जाने वाली फसल के आधार पर कृषक सदस्य के पक्ष में पांच वर्ष के लिये फसली ऋण साख सीमा तैयार कर स्वीकृत कर ऋण वितरण किया जाता है।

ऋण की सीमा :-

जिला स्तर पर आयोजित तकनीकी दल द्वारा अलग-अलग फसलों के लिए फसलवार उत्पादन लागत के आधार पर नोर्मस तय किये जाते है। वर्तमान में प्रति सदस्य-अधिकतम ऋण साख सीमा राशि रूपये 1.50 लाख है। औसतन प्रति एकड रूपये 5000 से 6000 होते है।

खरीफ फसल :- खरीफ फसल के लिए 1 अप्रेल से 31 अगस्त तक ऋण वितरण किया जाता है।

रबी फसल :- रबी फसल के लिए ऋण वितरण 1 सितम्बर से 31 मार्च तक वितरण किया जाता है।

चुकौति अवधि खरीफ :- 31 मार्च
रबी :- 30 जून

हिस्सा राशि

वसूली के आधार पर समिति द्वारा सदस्यों से 9 प्रतिशत हिस्सा राशि ली जाती है। इस हिस्सा राशि पर समिति द्वारा सदस्य को समिति के लाभ में से लाभांश वितरण किया जाता है।

---

2. कृषक मित्र योजना :-

किसी सदस्यों को फसली ऋण के लिए राशि रू. 1,50,000/- से अधिक ऋण की आवश्यकता होने पर केन्द्रीय सहकारी बैंक से सीधे कृषक मित्र योजनान्तर्गत ऋण राशि रू. 3.50 लाख तक भूमि के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकता है। जिसके पास न्यूनतम 4 एकड सिंचित कृषि भूमि है।

1. अधिकतम ऋण साख सीमा रू. 3.50 लाख तक एक वर्ष के लिए स्वीकृत की जाती है। प्रत्येक वर्ष 30 जून को एक बार सम्पूर्ण बकाया राशि मय ब्याज के चुकानी आवश्यक होती है।
2. ऋण स्वीकृति का मापदण्ड रू. 4000/- प्रति एकड सिंचित भूमि निर्धारित है, किन्तु जिले की टेक्नीकल कमेटी द्वारा अनुमोदित वास्तविक लागतों से अधिक है तो जिला स्तरीय टेक्नीकल कमेटी द्वारा अनुमोदित मापदण्ड ही साख सीमा स्वीकृति का आधार होगा, ऋण की जमानत में भूमि को बैंक के पक्ष में रजिस्टर्ड रहन करवाना आवश्यक है, ऋण के अनुपात में दुगनी वेल्यूऐशन की भूमि रहन रखी जाती है।
3. कृषक मित्र ऋण साख सीमा पर वर्तमान ब्याज दर 7% ऋण राशि रूपये 3.00 लाख तक वार्षिक है तथा 3.00 लाख से अधिक पर ब्याज दर 12 प्रतिशत है।

---

3. फार्म यंत्रीकरण योजनान्तर्गत-ट्रेक्टर ऋण :-

भूमिधारक कृषक जिसके पास 8 एकड भूमि हो तथा ऋण चुकाने की सक्षमता के आधार पर व बैंक से ट्रेक्टर, थ्रेसर एवं अन्य सयंत्र क्रय करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है।

ऋण राशि एवं सीमा	:–	कृषक आवेदन की कृषि भूमि की डीएलसी दर/ मूल्य के 70 प्रतिशत तक जिसमें काश्तकार के पक्ष में स्वीकृत फसली ऋण की साख सीमा राशि एवं मध्यकालीन ऋण की बकाया राशि यदि कोई हो कम करते हुए ऋण राशि स्वीकृत की जा सकेगी।
ऋण की अधिकतम सीमा		1) सीसीबी की शाखा स्तर से ऋण वितरण की स्थिति में अधिकतम असिंचित भूमिधारक को 50,000/- व सिंचित भूमिधारक को 2.00 लाख तक प्रति सदस्य होगी। 2) समिति स्तर से ऋण वितरण की स्थिति में अधिकतम सीमा असिंचित 0.50 लाख तथा सिंचित भूमि होने पर 1.00 लाख तक प्रति सदस्य।
ब्याज दर	:–	12 प्रतिशत
ऋण चुकारा	:–	6 माही किश्तों में 30 जून एवं 31 दिसम्बर

8. ऋण योजना

सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं छिड़काव सिंचाई) एवं राष्ट्रीय बागवानी योजना हरित गृह (ग्रीन हाऊस) योजना

उद्देश्य	:–	काश्तकार को सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं छिड़काव सिंचाई) एवं राष्ट्रीय बागवानी योजना हरित गृह (ग्रीन हाऊस) की क्रियान्विति एवं साख धारा से जोडने हेतु योजना लागू की गई। ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्र लगाये जाने पर ही कृषक को अंशदान दिया जा सकेगा।
पात्र	:–	जिन कृषकों के नाम पर भूमि का स्वामित्व है तथा कुंए पर विद्युत/डीजल/ट्रेक्टर चालित पम्प सेट है, वे अनुदान के पात्र होंगे। सामलानी कुंए पर अलग–अलग पम्प सेट होने पर या पम्प सामलानी होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग–अलग फव्वारा/ड्रिप पर अनुदान की मांग करते है तो अलग–अलग अनुदान देय होगा, परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग–अलग होना आवश्यक है। कृषकों की फव्वारा/ड्रिप संयंत्र पर ऋण अनुदान नकद या बैंक से ऋण लेकर क्रय करने पर दोनों की स्थिति में देय होगा।
ब्याज दर	:–	12 प्रतिशत
कृषि भूमि	:–	काश्तकारों के पास उपलब्ध भूमि यथा 0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 एवं 5.00 हैक्टेयर भूमि हो।
अनुदान	:–	जिस पर देय अनुदान की अधिकतम सीमा लागत का 50 प्रतिशत होगी।

अकृषि ऋण योजनाएँ –

<u>केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा निम्नाकिंत योजनान्तर्गत अकृषि ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं</u> :–

9. ऋण योजना	:–	भारी वाहन, कार/टैक्सी/ओटो रिक्शा/व्यवसायिक यात्री/लोडिंग
पात्रता	:–	व्यक्ति, फर्म आदि अधिकतम दो वाहन
ऋण राशि	:–	लागत का 75 प्रतिशत
ब्याज दर	:–	रु. 2.00 लाख तक 12 प्रतिशत रु. 2.00 लाख से अधिक पर 12 प्रतिशत
ऋण अवधि	:–	5 वर्ष
मार्जिन	:–	25 प्रतिशत तक
आवश्यक दस्तावेज	:–	ड्राईविंग लाईसेन्स, बंधक हेतु स्थायी सम्पत्ति, कोटेशन, दो जमानत

10. ऋण योजना		प्रोफेशनल वाहन/निजी वाहन
पात्रता	:–	वेतनभोगी कर्मचारी, चिकित्सक, इंजीनियर, सी.ए., प्रोफेसर आदि
ऋण राशि	:–	वाहन मूल्य का 75% अथवा 18 माह का वेतन जो भी कम हो
ऋण अवधि	:–	5 वर्ष
ब्याज दर	:–	रु. 2.00 लाख तक 12 प्रतिशत रु. 2.00 लाख से अधिक पर 12 प्रतिशत
आवश्यक दस्तावेज	:–	ड्राईविंग लाईसेन्स, बंधक हेतु स्थायी सम्पत्ति, कोटेशन, दो जमानती

11. ऋण योजना	:–	व्यक्तिगत ऋण (पर्सनल ऋण) घरेलू आवश्यकता, घरेलू सामान, विवाह इत्यादि के लिए नकद ऋण सुविधा
पात्रता	:–	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, बीमा विभाग, निगमों एवं स्वायतशाषी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए
ऋण राशि	:–	5.00 लाख रुपये अधिकतम
ऋण अवधि	:–	5 वर्ष
ब्याज दर	:–	15 प्रतिशत
आवश्यक दस्तावेज	:–	वेतन प्रमाण पत्र, कोटेशन, नियोक्ता का अंडरटेकिंग, दो जमानती

12. ऋण योजना	:–	जनमंगल/ग्रामीण आवास ऋण–मकान/प्लॉट क्रय तथा निर्माण
पात्रता	:–	वेतनभोगी कर्मचारी/व्यवसायी
ऋण राशि अधिकतम	:–	20.00 लाख अधिकतम, ग्रामीण आवास हेतु 7.00 लाख
ऋण अवधि	:–	10 वर्ष अथवा सेवा अवधि
मार्जिन	:–	25 प्रतिशत
ब्याज दर	:–	रु. 2.00 लाख तक 11.50 प्रतिशत रु. 2.00 लाख से अधिक पर 12 प्रतिशत
आवश्यक दस्तावेज	:–	स्थाई सम्पत्ति दस्तावेजों की प्रति, वेतन प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न, नक्शा, निर्माण लागत का तकमीना तथा विलेख, स्थाई सम्पत्ति बंधक, दो जमानती

ऋण योजना

13. ज्ञान सागर ऋण योजना

उद्देश्य

जिले के छात्र/छात्राओं को तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इंजिनियरिंग, आई.टी.आई., चिकित्सा, प्रबंधन, सी.ए., एम.सी.ए. एवं अन्य हाईटेक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाना।

पात्रता	:–	छात्र/छात्रा की आयु 18 से 30 वर्ष एवं अभिभावक की अधिकतम आयु 55 वर्ष पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं प्रवेश हेतु सम्बन्धित शिक्षण संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ऋण सीमा	:–	आवेदक के माता पिता/ऋणी की कुल मासिक आय का 15 गुणा या कोस्ट आफ स्टडीज का 90 प्रतिशत जो भी कम हो, भारत में शिक्षा प्राप्त करने हेतु रु 3.00 लाख तथा विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु 5.00 लाख रुपये।
ब्याज दर	:–	12 प्रतिशत

14. ऋण योजना	:–	विश्वास योजना
पात्रता	:–	विकलांग
ऋण राशि	:–	रुपये 50,000/- अधिकतम अनुदान रु. 10,000/-
ऋण अवधि	:–	पाँच वर्ष अधिकतम
मार्जिन	:–	25 प्रतिशत
ब्याज दर	:–	12 प्रतिशत
आवश्यक दस्तावेज	:–	रुपये 25,000/- से अधिक राशि का ऋण चाहने पर मूल रजिस्ट्री/पट्टा बंधक

15. ऋण योजना	:–	स्वयं सहायता समूह
पात्रता	:–	समूह की जमा राशि का दस गुणा तक
अवधि	:–	36 माह
ब्याज दर	:–	12 प्रतिशत
आवश्यक दस्तावेज	:–	समूह छः माह से अधिक समय से नियमित जमाएं सदस्यों से प्राप्त कर आपस में ऋण दे रहा हो, नियमित बैठक हो रही हो, बैठक में ऋण लेने का प्रस्ताव पारित हो, सदस्यों को दिये गये ऋण की वसूली नियमित हो।

16. **ऋण योजना** :– अचल सम्पत्ति के विरुद्ध रहन ऋण

पात्रता :– सम्पत्तिधारक एवं पत्नी/पति/पुत्र/माता/पिता

ऋण उद्देश्य :– आकस्मिक पारिवारिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वाहन क्रय, उच्च शिक्षा हेतु।

आयु :– न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष

ऋण राशि :– रुपये 20.00 लाख अधिकतम अथवा सम्पत्ति मूल्यांकन का 50 प्रतिशत

ऋण अवधि :– 10 वर्ष अथवा ऋणी की आयु 65 वर्ष तक

ब्याज दर		गैर वाणिज्यिक	वाणिज्यिक
	2.00 लाख तक	14.50%	14.50%
	2.00 लाख से अधिक	15.00%	15.00%

आवश्यक दस्तावेज :– आयकर रिटर्न गत तीन वर्ष, वेतनभोगी का वेतन व कटौतियां गत तीन वर्ष, निवास प्रमाण पत्र, आयकर पेन कार्ड प्रति, बिजली/पानी बिल, आयु प्रमाण पत्र, अचल सम्पत्ति के आवंटन/क्रय करने सम्बन्धि दस्तावेज प्रति, अनुमोदित नक्शा/निर्माण अनुमति भार रहित प्रमाण पत्र।

---

17. **कम्पोजिट ऋण**

सुथारी, वैल्डिंग, जाली निर्माण उद्योग, तेल घानी, ईट भट्टा, लेथ मशीन, कुम्हारी कार्य, खनन कार्य, सिलाई, हैण्डीक्राट, चमडा उद्योग कार्य, बुनाई इत्यादि कार्य के लिए–

पात्रता :– शिल्पी, दस्तकार, लघु उद्यमी

ऋण राशि :– लागत का 75 प्रतिशत

ब्याज दर :– रु. 2.00 लाख तक 12 प्रतिशत
रु. 2.00 लाख से अधिक पर 12 प्रतिशत

ऋण अवधि :– 10 वर्ष अधिकतम

मार्जिन :– 25 प्रतिशत

आवश्यक दस्तावेज :– बंधक हेतु स्थायी सम्पत्ति, दो जमानती, कोटेशन उद्योग स्थल परियोजना रिपोर्ट

---

18. **इन्टीग्रेटेड उद्योग, होटल यूनिट/मोटल/क्लिनिक इत्यादि**

पात्रता :– उद्यमी, डॉक्टर इत्यादि

ऋण राशि :– 25.00 लाख तक

ब्याज दर :– 2.00 लाख तक 12 प्रतिशत
2.00 लाख से अधिक पर 12 प्रतिशत

ऋण अवधि :– 10 वर्ष अधिकतम

मार्जिन :– 25 प्रतिशत

आवश्यक दस्तावेज :– परियोजना रिपोर्ट, बंधक हेतु स्थायी सम्पत्ति, दो जमानती, कोटेशन, उद्योग स्थल का पता

---

19. **ऋण योजना** :– व्यापारिक साख सीमा–सी.सी. लिमिटेड

पात्रता :– निजी व्यापारी/साझेदारी फर्म

ऋण राषि :– गत तीन वर्षो की औसत बिक्री का 15 प्रतिशत तक के आधार पर अधिकतम रुपये 10.00 लाख रहन/दृष्टिबंधक साख सीमा

ऋण अवधि :– 1 वर्ष

मार्जिन :– 40 प्रतिशत

ब्याज दर :– 2.00 लाख तक 13 प्रतिशत
2.00 लाख से अधिक पर 14 प्रतिशत

आवश्यक दस्तावेज :– फर्म के अंतिम लेखे, फर्म का रजिस्ट्रेशन, साझेदारी की दशा में साझेदारी विलेख, दो जमानती, दुकान का स्थाई सम्पत्ति बंधक के लिए

---

20. **ऋण योजना** :– कार्यशील पूंजी साख सीमा

पात्रता :– औद्योगिक इकाई

ऋण राशि	:–	50.00 लाख अधिकतम
ऋण अवधि	:–	1 वर्ष
मार्जिन	:–	50 प्रतिशत
ब्याज दर	:–	2.00 लाख तक 13 प्रतिषत 2.00 लाख से अधिक पर 14 प्रतिषत
आवश्यक दस्तावेज	:–	फर्म/औद्योगिक इकाई के अंतिम लेखे, औद्योगिक इकाई का रजिस्ट्रेशन, साझेदारी की दशा में साझेदारी विलेख, दुकान किरायानामा, स्थाई सम्पत्ति बंधक, दो जमानती

21. ऋण योजना	:–	पैक्स/लेम्पस/भण्डार/मार्केटिंग समितियों को दृष्टिबंधक ऋण
ऋण उद्देश्य	:–	व्यवसायिक वृद्धि हेतु
ऋण राशि	:–	एन.डी.आर. के आधार पर
ऋण अवधि	:–	1 वर्ष हेतु
मार्जिन	:–	40 प्रतिशत
ब्याज दर	:–	2.00 लाख तक 12 प्रतिशत 2.00 लाख से अधिक पर 12.00 प्रतिशत

दी सिरोही सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि.

प्रधान कार्यालय

नेशनल हाईवे नं. 14, अनादरा चौराहा के पास, सिरोही–307001 (राज.)

फोन 02972-222349, 221343

बैंक की शाखाएँ एवं टेलीफोन नम्बर

सिरोही	:	02972-222232
कालन्द्री	:	02972-264327
पिण्डवाडा	:	02971-282066
स्वरूपगंज	:	02971-242043
आबूरोड (मुख्य)	:	02974-222207
आबूरोड (सायं)	:	02974-221611
आबूपर्वत	:	02974-235441
रेवदर	:	02975-283332
मण्डार	:	02975-285455
शिवगंज (मुख्य)	:	02976-270343
शिवगंज (सायं)	:	02976-270378

मुद्रक : अंकिता ऑफसेट प्रिण्टर्स, सिरोही ☎ 221922